

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(213)एमई/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक

आदेश


30 OCT 2017

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.(119)एम.ई./ग्रुप-1/2005 दिनांक 24.08.2017 द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या- 4 में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ० रवि इणानिया मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2	दिनांक 23.11.2017 तक

उक्त चिकित्सक शिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों। इसके बाद आपकी कार्यग्रहण अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी अपितु आपके नियुक्ति आदेश निरस्त किये जावेंगे।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
5. डॉ० रवि इणानिया पुत्र श्री जयनारायण, ए-268, शास्त्री नगर, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव